राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.27(8)न्याय/2016   जयपुर, दिनांक

:: परिपत्र ::

श्रीमान मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 04.03.2024 को समस्त विभागों को पत्र जारी कर डीपीसी वर्ष 2023–24 तक की सभी पदों की डीपीसी बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवायल, जयपुर ने परिपत्र दिनांक 26.08.2023 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक समय पर आयोजित कर पदोन्नतियां समयबद्ध तरीके से किये जाने हेतु सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा के विभागाध्यक्षों की सूची (अपेन्डिक्स–8) में बिन्दु संख्या 240 के अनुसार समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों को विभागाध्यक्ष घोषित है, जिसके अनुसार संबंधित न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के लम्बित प्रकरण यथा–वरिष्ठता सूची जारी करने/पदोन्नति/मृत्यु/ अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृति आदेश जारी करने/चयनित वेतनमान स्वीकृत करने/परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर नियमितिकरण/विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की अनुमति जारी करने हेतु सक्षम स्तर है।

अतः इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 14.10.2021 एवं 08.03.2023 को अतिलंघित कर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों में कार्यरत समस्त कार्मिकों के उपरोक्तानुसार लम्बित प्रकरणों की नियमानुसार समुचित कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु समस्त न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को निर्देशित किया जाता है।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.04.2023 को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,

(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. न्यायाधीश, समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण।
3. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, विधि

RajKaj Ref
7839132

Document certified by BRAJENDRA KUMAR JAIN <judgeCBI2015@gmail.com>.

Digitally Signed by BRAJENDRA KUMAR JAIN
Designation : Principal Secretary To Government
Date :19-06-2024 07:39:52